मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 27 जून 2017

क्रमांक एफ 19–43/2017/1/4 :: भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.03.2016 को जारी बायो मेडिकल वेस्ट (मेंनेजमेंट एण्ड हेंण्डलिंग) नियम 2016 की कंडिका 11(1) एवं कंडिका 12(4)(6) के प्रावधानानुसार राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन करता है :–

(1) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति

1	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, पशु पालन विभाग	सदस्य
4	संचालक, स्वास्थ्य सेवाये (अस्पताल प्रशासन)	सदस्य सचिव
5	मध्यप्रदेश प्रदूषण मण्डल के प्रतिनिधि	सदस्य
6	आयुक्त, नगर निगम भोपाल	सदस्य
7	आयुक्त, नगर निगम इन्दौर	सदस्य
8	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मध्यप्रदेश का प्रतिनिधि	सदस्य
9	मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिऐशन का प्रतिनिधि	सदस्य
10	सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. का प्रतिनिधि	सदस्य
11	एन.जी.ओ. प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामांकित)	सदस्य

(2) जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य सचिव
3	सिविल सर्जन/आर.एम.ओ.	सदस्य
4	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
5	मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल का प्रतिनिधि	सदस्य
6	नगर निगम एवं स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि	सदस्य
7	इंडियन मेडिकल एसोसिऐशन, मध्यप्रदेश का प्रतिनिधि	सदस्य
8	मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिऐशन जिला प्रतिनिधि	सदस्य
9	सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. का प्रतिनिधि	सदस्य
10	एन.जी.ओ. प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामांकित)	सदस्य

निरंतर . . . 2

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में न्यूनतम एक बार आयोजित की जायेगी। समिति के कार्य निम्नानुसार रहेंगे।

1– प्रदेश में बायो मेडिकल वेस्ट नियम 2016 के कियान्वयन की समीक्षा एवं सुधार हेतु सुझाव देगी।

2– राज्य स्तरीय सलाहकार समिति बायो मेडिकल वेस्ट नियम 2016 के कियान्वयन की गतिविधियों से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को अवगत करायेगी।

जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के कार्य निम्नानुसार रहेंगें।

1– जिले में बायो मेडिकल वेस्ट नियम 2016 के प्रावधानों के कियान्वयन की मॉनिटरिंग करेगी।

2– समिति मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रति छः माह में राज्य स्तरीय एडवाइजरी कमेटी एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल को प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांकः एफ 19–43/2017/1/4 भोपाल, दिनांक 27 जून 2017

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव (राज्य स्तरीय सलाहकार समिति)।
2. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव (जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति)।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर जारी आदेश के साथ मूल नस्ती सहित।
5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग